The Indian Ports Bill, 2025 -Introduced

THE MINISTER OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SARBANANDA SONOWAL): Respected Speaker Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to consolidate the law relating to ports, promote integrated port development, facilitate ease of doing business and ensure the optimum utilization of India?s coastline; establish and empower State Maritime Boards for effective management of ports other than major ports; establish the Maritime State Development Council for fostering structured growth and development of the port sector; provide for the management of pollution, disaster, emergencies, security, safety, navigation, and data at ports; ensure compliance with India?s obligations under international instruments to which it is a party; take measures for the conservation of ports; provide for adjudicatory mechanisms for the redressal of port-related disputes; and address matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

?कि पत्तन से संबंधित विधि का समेकन करने, पत्तनों पर प्रदूषण की रोकथाम और संदूषण के लिए उपबंध करने, अंतरराष्ट्रीय लिखत, जिसका भारत पक्षकार है, के अधीन देश की बाध्यता का अनुपालन सुनिश्चित करने; पत्तन के संरक्षण के लिए उपाय करने, भारत में गैर-महापत्तनों के प्रभावी प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्य समुद्रीय बोर्डों की स्थापना और सशक्त करने; पत्तन से संबंधित विवादों के निवारण के लिए न्यायनिर्णायिक तंत्रों का उपबंध करने; पत्तन के क्षेत्र की संरचनात्मक वृद्धि और विकास के संवर्धन के लिए समुद्रीय राज्य विकास परिषद् की स्थापना करने; भारत की तटरेखा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीश तिवारी जी, क्या आपका माइक ऑन हो गया है?

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : महोदय, जी हां ।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इनको बताइए कि माइक कैसे ऑन होता है ।

? (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : अध्यक्ष जी, आप बताइए कि माइक कैसे ऑन होता है ।? (व्यवधान) आप बताइए कि माइक कैसे ऑन होता है ।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए, तब मैं बताता हूं कि माइक कैसे ऑन होता है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : आप बता दीजिए कि माइक कैसे ऑन होता है ।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब माननीय अध्यक्ष माइक ऑन करने की अनुमति देंगे, तभी माइक ऑन होता है । अध्यक्ष की अनुमति के बिना माइक ऑन नहीं हो सकता है ।

? (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : अध्यक्ष जी, पहले हाउस ऑर्डर में तो आना चाहिए । हाउस को ऑर्डर में लाइए ।

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं?

? (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : महोदय, पहले हाउस को ऑर्डर में लाइए ।

माननीय अध्यक्ष : क्या आपकी पार्टी के सदस्य को नहीं बोलना है?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मनीश तिवारी जी, क्या आप नहीं बोलना चाहते हैं?

श्री के. राधाकृष्णन जी ।

? (व्यवधान)

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Hon. Speaker, Sir, I oppose the introduction of the Indian Ports Bill, 2025. ? (*Interruptions*)

Sir, this Bill encroaches upon the powers of the State Governments and undermines the federal structure of the Indian Constitution. The Bill seeks to centralize control over ports, which interferes with the distribution of powers between the Union and the State Governments, as defined in the Seventh Schedule of the Constitution. The Bill violates the State List Entry 31, Article 246(3), Article 162, and Article 368. ? (*Interruptions*)

Therefore, I urge upon the Government to withdraw this Bill or replace it with another Bill. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री बैन्नी बेहनन जी ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय जी ।

? (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, under Rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I oppose the introduction of the Indian Ports Bill, 2025.

The Indian Ports Act was enacted in 1908. At that time, all the ports were under the Centre and under the ownership of the Central Government. But in recent times, many private ports have come up and

parts of the Government ports have been leased to the private companies. ? (*Interruptions*)

The present legislation does not appear to be adequate to control the private ports. It has been proposed in the new Bill that a new adjudicating mechanism will be set up. So far as the wages of port workers are concerned, they are finalised through a tripartite mechanism in which the labour has an equal role. The present Bill may take away the rights of the workers.

Hence, I oppose the adjudication and I oppose the Bill. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

? (व्यवधान)

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Speaker Sir, this particular Bill is brought on merit and this House has full powers. And that is why, I request respected Speaker Sir, to allow me to introduce the Bill. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सब कहते हैं कि शुक्रवार को गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य होना चाहिए । जब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य या संकल्प वाला दिन होता है, तो उस दिन आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं । क्या आप माननीय सदस्यों का हक छीनना चाहते हैं?

? (व्यवधान)

श्री बैन्नी बेहनन (चालाकुडी) : महोदय, हम सदन चलाना चाहते हैं ।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप शून्य काल नहीं चलाना चाहते हैं? क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन व्यवस्था से चलेगा, सदन नियमों से चलेगा, सदन संविधान से चलेगा । सदन न तो आपके आग्रह करने से चलेगा और न ही सदन इनके कहने से चलेगा । सदन हमेशा नियम-प्रक्रियाओं तथा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम की व्यवस्था के तहत चलेगा ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि पत्तन से संबंधित विधि का समेकन करने, पत्तनों पर प्रदूषण की रोकथाम और संदूषण के लिए उपबंध करने, अंतरराष्ट्रीय लिखत, जिसका भारत पक्षकार है, के अधीन देश की बाध्यता का अनुपालन सुनिश्चित करने; पत्तन के संरक्षण के लिए उपाय करने, भारत में गैर-महापत्तनों के प्रभावी प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्य समुद्रीय बोर्डों की स्थापना और सशक्त करने; पत्तन से संबंधित विवादों के निवारण के लिए न्यायनिर्णायिक तंत्रों का उपबंध करने; पत्तन के क्षेत्र की संरचनात्मक वृद्धि और विकास के संवर्धन के लिए समुद्रीय राज्य विकास परिषद् की स्थापना करने; भारत की तटरेखा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुर:स्थापित करें ।

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Sir, I introduce the Bill.

12.16 hrs